न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–08/20

1. हंसराज पुत्र रामरख जाति नाई साकिन सांवतसर हाल चक 15 बीडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– 21.10.2022

यह वादपत्र वादी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। चक 15 बीडी ए के मुरब्बा नं0 134/1 के किला नं0 13 ता 24 तादादी 12 बीघा व किला नं0 25 तादादी 6 बिस्वा कुल 12 बीघा 6 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा नं0 134/2 किला नं0 2 ता 4, 8, 9 तादादी 2 बीघा 17 बिस्वा कुल तादादी 15 बीघा 3 बिस्वा खातेदारी भूमि स्थित है, जिसपर वादी का काबिज हाकर काश्त करता आ रहा है। चक 15 बीडी ए के मुरब्बा नं0 134/1 के किला नं0 21 ता 24 में 2–2 बिस्वा कुल 8.00 बिस्वा जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन दर्ज हुई है, वह सहवन से दर्ज हुई और वादी के खातेदारी भूमि में से बिना वजह कम करके गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है तथा इसी गैर अनुसार घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पुनः वादी के नाम से खातेदारी दर्ज की जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार खाजूवाला [illegible] जवाब/रिपोर्ट अनुसार वर्तमकान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 15 बीडी ए के मुरब्बा नं0 134/1 के किला नं0 13 ता 25 तादादी 11.18 बीघा हंसराज पुत्र रामरख जाति नाई सा0 सांवतसर [illegible] रहन पीएनबी शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज है। उक्त मु0नं0 134/1 के किला नं0 22 ता 24 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि मौके पर उक्त भूमि पर कोई रास्ता चालू नहीं है व ना ही मौके पर काश्तकारों को उक्त रास्ते की आवश्यकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः मौके पर बिना उपयोग के रास्ते को रिकॉर्ड में अराजीराज किया जाना उचित होगा। उक्त मुरब्बे के नजदीक मु0नं0 134/2 के किला नं0 2, 9, 12 में डामर सड़क गुजरती है। आसपास के काश्तकारों को रास्ते की सुविधा होने के कारण मु0नं0 134/1 के किला नं0 22 ता 24 के 2–2 बिस्वा रास्ता रिकॉर्ड में अराजीराज किया जाना उचित है। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वादपत्र तहसीलदार खाजूवाा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने वादपत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन अध्ययन किया और बहस पर मनन किया। मुरब्बा नं0 134/1 के किला नं0 22 ता 24 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा उक्त रास्ता खारिज किया जाकर अराजीराज किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा चक 15 बीडी ए मु0नं0 134/1 के किला नं0 22 ता 24 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता की भूमि को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर अराजीराज नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:22 IST
Reason: SelfAttested